कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 2099 / 27सी दिनांक 4 /12/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग में प्रभावित 8.057 हे0वनभूमि के प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन संशोधित दर के अनुसार धनराशि जमा किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ के कार्यालय पत्रांक 2396/12–1 दिनांक 18.11.2024 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार धनराशि रू0 2805528.00 का डिमाण्ड नोट इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। विषयवर्णित मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/40 /2019/एफ0सी0/1277 दिनांक 13.09.2019 को प्राप्त है। दिनांक 24.04.2020 को एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 5293449.00 ऑनलाइन कैम्पा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या दिनांक 04.07.2020 को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित है। परन्तु आतिथि तक विधिवत् स्वीकृति अपेक्षित है। इस कार्यालय में प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार एन0पी0वी0 की नवीन संशोधित दरों के अनुसार योग्य कुल धनराशि 8098976.97 रू0 निर्धारित की गयी है। जिसमें से धनराशि रू0 5293449.00 पूर्व में वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रू0 2805528.00 वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

कृपया एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार धनराशि रू0 2805528.00 (रू0 अट्ठाईस लाख पॉच हजार पॉच सौ अट्ठाईस) मात्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। ताकि उक्त धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर विधिवत् स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

4/12/24

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

O/C

04/12/24

पत्रांक 2099 / 27सी दिनांक 4 /12/2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
2–प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ।
3–सहायक अभियन्ता प्रभारी अ0ख0लो0नि0वि0,बेरीनाग।

4/12/24

O/C

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

04/12/24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रॉक 2396 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 18, नवम्बर, 2024।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग लम्बाई 17.00 किमी0 तक (FP/UK/ROAD/37042/2018) हेतु 8.057 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन मंत्रालय के आदेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/40/2019/एफ0सी0/1277 दिनांक 13.09.2019 व भारत सरकार की पत्र सं0 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्रों के कम में ऐसे प्रकरण जो कि दिनांक 06.01.2022 के बाद स्वीकृत हैं, अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें कि सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के बाद 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका हो, में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार शेष धनराशि जमा की जानी अनिवार्य है। अतः उक्त के कम में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार पुनः संशोधित डिमाण्ड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा किये जाने योग्य कुल धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि
1	एन0पी0वी0	8.057 हे0	1005210/– (ईको क्लास–V) घनत्व 0.3	8098976.97/–	52,93,449.0	28,05,527.97 या 28,05,528.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट आन लाईन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।